

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या  
16/64/2023

प्रवेश तिथि  
03-02-2023

निर्णय दिनांक  
20-03-2023

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत  
निर्णय विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर निर्णय दिनांक 02.03.2022

उपस्थित:-

01- श्री दीपक मीना

-राजकीय अभिभाषक


-::निर्णय::-

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच/3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/1093 दिनांक 02.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 74/2223 रकबा 1.10 है० किस्म बंजड में से 0.10 है० वाके ग्राम टहला, तहसील टहला, जिला अलवर भूमि का आवंटन सीताराम पुत्र श्रीराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम टहला, तहसील टहला, जिला अलवर को आवंटन किया गया है, के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है, कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /1093 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा नियम विरुद्ध प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ़

उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक प० राजस्व/2022/8962-63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

के तहत आंवटन/नियमन मे अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में आंवटन अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की है। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है। प्रकरण में आंवटन नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आंवटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी विवादित आंवटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को निरस्त फरमावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया, तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जांच रिपोर्ट आंवटित भूमि में आंवटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडों की पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका (प्रारूप-4) में संधारित है या नहीं, से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उद्घोषणा जारी होने के पश्चात तामील/चस्पानगी के संबंध मे तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नहीं है। आंवटन सलाहकार समिति की बैठक सूचना की तामील कब हुई, इस संबंध में पत्रावली में तारीख का अंकन नहीं है, ना ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है। पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं है, एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आंवटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रकरण में आंशिक रकबे का आंवटन किया गया है, जिसका नजरी नक्शा पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। आंवटी के विवाहित के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, आवेदन पत्र एकल किया है। आंवटन पत्रावली पर पटवारी हल्का/आई.एल.आर की चैक लिस्ट अपूर्ण है। प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आंवटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों मे नहीं किया जाना बतलाया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा आंवटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा आंवटन करते समय आंवटन की

शर्तों की पालना नहीं कर आराजी का आंवटन किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है, कि उक्त आंवटन के संबंध में



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है, तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/1093 दिनांक 02.03.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये हैं, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। उक्त आराजी आवंटन किये जाने योग्य नहीं है। अतः सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14(4) के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/1093 दिनांक 02.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में



(उत्तम सिंह शेखावत)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज.)